फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर प्रथम

हरिनारायण बनाम मैसर्स म्यूचवल हाऊसिंग

संख्या / वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.5.24.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता / प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से पेश प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11, CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि, वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है। मौके पर किसी प्रकार की कोई कृषि योग्य भूमि नहीं रही है। इसलिए [illegible] विचाराधीन भूमि पर, न तो वादी रिकार्डेड खातेदार है और	

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय राजस्व मंडल ... जयपुर बाबर मंडल

हरिनारायण बनाम ... हाउसिंग

मुकदमा संख्या/वर्ष : दावा ... /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि.
		ना ही भूमि कृषि योग्य है, ऐसे में वादी का वाद बाई बाई लॉ होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। उक्त भूमि की किस्म वर्तमान जमाबंदी में आबादी दर्ज है, ऐसे में वाद की सुनवाई का अधिकार-क्षेत्र, माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। इस कारण प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी / वादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि ~~वादी~~ ... भूमि खसरा नं. 469/2, वादी के पिता ~~हरिनारा~~ हरिनारायण की खातेदारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलैक्टर, जयपुर - प्रथम

हरिनारायण बनाम म्यूचल हा. को. सो.

मुकदमा संख्या/वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.5.24	की भूमि थी। वादी ने यह वाद 1993 में पेश किया था, तब वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार था। उक्त वादग्रस्त भूमि को गलत तरीके से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील विचाराधीन है। वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी जाहिर किया कि वाद-दायरी के बाद हुए परिवर्तन के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC खारिज फरमाया जावे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी ~~अधिवक्ता~~ अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:- 1) 2020(3) Raj. 849 R.H.C. 2) 2015 S.C. 242 S.C	

सहायक कलेक्टर
जयपुर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested

लय

न्यायालय ...
जयपुर ...

हरिनारायण बनाम मैं० मूलचन्द हाउसिंग

दमा संख्या / वर्ष : /20

दावा - 225/...

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		3) 2007-08 (Suppl.) 251 S.C. उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन से न्यायालय के यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि ~~का~~ जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वादी / अप्रार्थी ने इस बात से भी इन्कार नहीं किया है कि विचाराधीन वादग्रस्त भूमि का कृषि से गैर कृषि प्रयोग जरिए 90-B हो चुका है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 469/2, भू. अ. नि.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर-प्रथम

हरिनारायण बनाम जे.डी.ए. हाउसिंग

दावा संख्या / वर्ष : / 20 दावा - स्थाई

क्र0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	30/5/24	क्षेत्र सौरवाड़ा, तहसील सौरवाड़ा, जिला - जयपुर, 'जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, जिसे कि भूमि के वर्गीकरण में 'गैर मुमकिन आबादी' से दर्शाया गया है। चूंकि वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी / वादी, वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है। इसलिए दावा दायरी के समय का वाद-कारण, वर्तमान परिस्थिति में जारी नहीं रह सकता क्योंकि अप्रार्थी / वादी का विवादग्रस्त भूमि में कोई Locus Standi शेष नहीं बचा है एवं विवादग्रस्त भूमि की किस्म, गैर मुमकिन आबादी दर्ज Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

हरिनारायण बनाम श्री० मधुपाल हाउसि.

मुकदमा संख्या / वर्ष दावा. 225/22 / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/24	होने से इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है, क्यों कि उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही है।
		सारतः प्रार्थी का प्रा० पत्र O7R11, CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद, क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एवं वाद-कारण के अभाव में खारिज किया जाता है।
		निर्णय आज दिनांक 30/5/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
		सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:16 IST
Reason: SelfAttested